रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102024-257898 CG-DL-E-15102024-257898

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4048]

नई दिल्ली, शनिवार , अक्तूबर 12, 2024/आश्विन 20, 1946 NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 2024/ASVINA 20, 1946

No. 4048]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर , 2024

का.आ. 4411(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1897 तारीख 02/05/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखंड राज्य के राँची जिले में NH320B के कि.मी. 71.323 से कि.मी. 81.450 (गोला - ओरमांझी सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 16.05.2024 को "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया" और "रांची एक्सप्रेस " दोनों में प्रकाशित किया गया था :

जबिक सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया:

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

6564 GI/2024 (1)

को अपनी रिपोर्ट दे दी है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची झारखंड राज्य के राँची जिले में NH320B के कि.मी. 71.323 से कि.मी.81.450 (गोला - ओरमांझी सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

			`	`				
राज्य का नाम: झारखंड			जिले का नाम: राँची					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम			
1	2	3	4	5	6			
तालुक का	तालुक का नाम: ओरमाँझी							
गांव का न	ाम: पालू (52)							
1	247	निजी	दोन ॥	0.0027924	मोसमात अघनी, पति - फकीर मुण्डा 247			
2	267	निजी	दोन ॥	0.0011736	दशरथ मुण्डा पिता- हरिआ मुण्डा रूपना मुण्डा वो हरिआ मुण्डा पिता-मंगला मुण्डा			
3	268	निजी	टांड ॥	0.0058681	गुहिया मुण्डा वो देवचन्द्र मुण्डा पिता- बजन मुण्डा 268			
4	269	निजी	टांड ॥	0.0050992	कमलनाथ साहू पिता-खिरोधर चैधरी 269			
गांव का नाम: तापे (58)								
5	1257	निजी	टांड II	0.0117361	बुधू मुण्ड़ा, पिता- भगड़ मुण्डा वो नेमा			

					बेदिया, पिता-सुधु बेदिया ,जासो देवी		
					,पति-सीताराम मुण्डा 1257		
6	1262	निजी	टांड ॥	0.0252934	बाबुलाल महतो, पिता -कमल महतो 1262		
7	1265	निजी	परती कदिम	0.1942938	बासु मुण्डा पिता- झुनका मुण्डा 1265		
8	1269	निजी	परती कदिम	0.0168758	लखिया बेदिया पिता-भवानी बेदिया 1269		
गांव का ना	गांव का नाम: गूड़् (67)						
9	117	निजी	टांड ॥	0.0202752	बकास्त भुईहरी समिलात खाता खेवट सं0-3/7 117		
10	118	निजी	टांड III	0.1011736	बकास्त भुईहरी खेवट सं0-3/8 ,मंगरा पाहन, पिता-नथू पाहन 118		
11	337	निजी	टांड III	0.0080939	बैजनाथ वरई, पिता- सुखनाथ राम वरई वो मुला वरई, वो रामचरण वरई वो सहदेव वरई,पिता- जैनाथ वरई		
	Total						

[फा. सं11015/5/PD/DHN/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2024

S.O. 4411(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1897 Dated:02/05/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH320B in the stretch of land from Km. 71.323 to Km. 81.450(Gola - Ormanjhi Section) in the district of RANCHI in the state of JHARKHAND.

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Times Of India" and "*Ranchi Express*" both dated 16.05.2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been recieved from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH320B in the stretch of land from Km. 71.323 to Km. 81.450 (Gola - Ormanjhi Section) in the district of RANCHI in the state of JHARKHAND

State: JHARKHAND			District: RANCHI				
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person		
1	2	3	4	5	6		
Taluk: Ormanjhi							
Village: Palu (52)							
1	247	Private	Don II	0.0027924	Masomat Aghni, W/o- Fakir Munda 247		
2	267	Private	Don II		Dashrath Munda, S/o- Haria Munda, Rupna Munda and		

					Haria Munda. S/o- Mangla Munda 267
3	268	Private	Tand II	0.0058681	Guhiya Munda and Devchand Munda, S/o- Bajan Munda 268
4	269	Private	Tand II	0.0050992	Kamalnath Sahu, S/o- Khirodhar Chaudhry 269
Village	e: Tape (58)	·			
5	1257	Private	Tand II	0.0117361	Budhu Munda S/o Bhagdu Munda and Nema Bediya S/o Sudhu Bediya and Jaso Devi W/o Sitaram Munda 1257
6	1262	Private	Tand II	0.0252934	Babulal Mahto , S/o Kamal Mahto 1262
7	1265	Private	Parti Kadim	0.1942938	Baasu Munda , S/o- Jhunka Munda 1265
8	1269	Private	Parti Kadim	0.0168758	Lakhiya Bediya , S/o- Bhawani Bediya 1269
Village	e: Guru (67)	'\	,		
9	117	Private	Tand II	0.0202752	Bakast Bhuihari Samilat Khata Khewat No3/7 117
10	118	Private	Tand III	0.1011736	Bakast Bhuihari Kheawat no. 3/8 , Mangra Pahan , S/o- Nathu Pahan 118
11	337	Private	Tand III	0.0080939	Baijanath Varai , S/o- Sukhnath Ram Varai and Mula Varai, and Ramcharan Varai and Sahdev Varai,

					S/o- Jainath Varai 337
Total			0.3926751		

[F. No. 11015/5/PD/DHN/3D]
ABHAY JAIN, Director